न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–220/2008

उनवान

1. सुमेर चन्द पिता घेवर चन्द छोजड़ निवासी गुलाबपुरा तहसील हुरडा
–वादी

बनाम

1. शिव प्रसाद पिता रामस्वरूप अरोड़ा निवासी विजयनगर मालिक मैसर्स शांति स्वरूप एण्ड ब्रदर्स गुलाबपुरा
– प्रतिवादी

उपस्थित :– श्री रतन कुमार जैन , वकील वादी
श्री गोपाल लाल वैष्णव, वकील प्रतिवादी

<u>वादपत्र अर्न्तगत धारा–183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट</u>

–: निर्णय :–

दिनांक– 15.07.2017

1. वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि मौजा गुलाबपुरा पटवार हल्का हुरड़ा मगरा तहसीली हुरड़ा 4885/1182 रकबा 12 विस्वा आराजी जो वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे खातेदार हक से दर्ज चली आ रहा है।
2. वादी अपने पुत्र के पास सिंगापुर गया हुआ था तथा दिनांक 10.05.2005 को जब वादी आया और अपनी आराजियात की देखभाल करने गया तो आराजी मे से उत्तरी दिशा की तरफ की 05 विस्वा भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा नाजायज कब्जा किया जाना जाहिर आया जिस पर वादी ने प्रतिवादी को औलम्भा दिया तथा सहमति पूर्वक हटा लेने बाबत निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी के द्वारा आना कानी व इकार कर दिया तब दिनांक 26.04.2008 को वादी ने उक्त आराजी पत्थगढ़ी करायी तो उससे स्पष्ट हो गया कि 05 विस्वा भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा है । जिसको हटाने हेतु निवेदन करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा होने से उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की नोवत पेश आई ।
3. वादी की मालिकाना हकशुदा आराजियात से प्रतिवादी का कोई सरोकार एवं वास्ता न होते हुये भी वादी की गैर मौजूदगी का फायदा उठा कर नाजायज रूप कब्जा किया गया नाजायज रूप

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

से 05 विस्वा भूमि पर वादी पुनः कब्जा करने व प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है ।

4. यदि वादी के हक मे व प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली की डिक्री जारी नहीं की गई तो प्रतिवादी सने सने 05 विस्वा भूमि के अलावा अन्य आराजी पर बल पूर्वक कब्जा कर वादी को बेदखल कर देगा तथा भूमि पर निर्माण कार्य कर किश्म परिवर्तन कर देगा जिससे पक्षकारान के मध्य व्यर्थ के मुकदमे बाजी को प्रोत्साहन मिलेगा ।

5. वादी को वाद पत्र मे वर्णित आराजियात को विरूद्ध प्रतिवादी के जरिये कानून कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि प्रतिवादी को वादी की आराजियात से बेदखल नही किया गया तो वादीसदेव अपनी आराजियात से वंचित किया गया जायेगा तथा वादी को भारी असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कदापि असम्भव है।

6. प्रतिवादी के द्वारा नाजायज रूप से वादी की आराजी पर कब्जा कर लिये जाने की सूरत मे प्रति छः माही फसल की कृषि जिन्स का नुकसान हो रहा है जो कि राजस्व गिरदावरी के मुताबिक कब्जा करने की दिनांक से प्रति छः माही फसल का उपज की राशि जो करीबन 10 हजार रूपये वार्षिक होती है वह वादी प्रतिवादी से प्राप्त का अधिकारी हे।

7. अंत मे अंकित किया गया कि वादी वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर बेदखली की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशयस की पारित फरमायी जावें कि वाद पत्र की कलम नं. 1 मे वर्णित आराजियात मे मे करीब 05 विस्वा भूमि पर प्रतिवादी द्वारा किये गयसे नाजायज कब्जे से प्रतिवादी को बेदखल करवाया जाकर एवं वादी को काबिज करा कब्जा दिलाया जावें । वादी को प्रतिवादी से प्रति छः माही फसल 10 हजार रूपये आर्थिक हर्जाना अथवा राजस्व गिरदावरी के अनुसार जो भी चार्ट मे देय हो बतौर फसल हर्जाना के वादी को दिलायी जावें तथा भूमि मे किसी प्रकार किसी प्रकार का निर्माण कर किश्म परिवर्तन नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें ।

8. प्रस्तुत वाद पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी की ओर से दिनांक 27.01.2009 को प्रस्तुत किया गया ।

9. प्रकरण मे वाद पत्र व जवाव दावा के आधार पर दिनांक 19.12.2011 को निम्न प्रकर तनकियात कायम की गई ।

तनकी नं.1	आया वाद पत्र की कलम नं. 1 मे वर्णित वाके ग्राम गुलाबपुरा की आराजी नम्बर 4885/1182 रकबा 12 विस्वा भूमि वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है ।	–वादी
तनकी नं.2	आया वादी अपने पुत्र के पास सिंगापुर गया हुआ था तब उनकी गेर मौजूदगी मे प्रतिवादी ने वादी की आराजियात से कोई	–वादी

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

	वास्ता सरोकार वास्ता नहीं होते हुये भी 05 बिस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया जिसे पुनः यादी प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है।	
तनकी नं.3	आया याद पत्र कलम नं. 5 मे वर्णित कारणों से वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।	–वादी
तनकी नं.4	आया आराजी नं. 4883/1181/1 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी काबिज मालिक चले आ रहे है जिसमे से 1000 वर्गगज जमीन का भू.रूपान्तरण कर पेट्रोल पम्प स्थापित किया हुआ है	–प्रतिवादी
तनकी नं.5	आया जवाब दावा की कलम नं. 11 व 12 मे वर्णित कारणों से दावा वादी खरिज योग्य हे ।	–प्रतिवादी
तनकी नं.6	आया जवाबदार वादी प्रतिवादी के दक्षिणी तरफ की भूमि अन्य व्यक्ति को विकय कर चूका और उस पर वादी का कब्जा नहीं है ऐसी स्थिति मे वाद ग्रस्त भूमि के उत्तरी हिस्से पर वादी का कब्जा नहीं हे।	–प्रतिवादी
तनकीनं. 7	आया जवाब दावा की कलम नं. 16 मे वर्णित स्थिति अनुसार दावा वादी खारिज योग्य है	–प्रतिवादी
तनकीनं.8	अनुतोष	

10.वादी ने अपने वाद पत्र ताइद मे पीडब्ल्यू 1 सुमेर चन्द का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसकी नकल वकील प्रतिवादी को दिलायी जाने पर उनके द्वारा पीडब्ल्यू 1 से जिरह करने हेतु अवसर चाहा गया ।

11.तत पश्चात पत्रावली आज लोक अदालत मे पेश हुई वकील वादी के द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत मे करवाये जाने की इस्तदुआ करने पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

12.वक्त बहस वकील वादी ने अपने वाद पत्र मे अंकित कथनों को दोहराते हुये अन्त मे कथन किया कि प्रतिवादी के द्वारा वादी की 05 बिस्वा भूमि पर नाजायज रूप से अतिकमण कर रखा है जिसे हटवाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करवाया जावें । इसके विपरित वकील प्रतिवादी ने भी कथन किया कि प्रतिवादी ने आराजी नम्बर 4883/1181/1 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 14.10.1992 से सुरजकरण , रतन लाल वैगरह से खरीद कर नियमानुसार भूमि रूपान्तरण करवा कर पेट्रोल पम्प स्थापित किया है ।जिसके पडोस पूर्व मे सिंचाई विभाग का ऑफिस है पश्चिम मे आराजी नम्बर 4883/1181/2 उत्तर दिशा मे नगरपालिका की खुली भूमि है और दक्षिण दिशा सुमेर चन्द छाजेड का नोहरा है । उक्त

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

पडोसीयों की मध्य की जमीन पूर्व मे रजिस्टर्ड विकय पत्र से सुरजकरण व रतन लाल को विकय कर दिया गया है ऐसी स्थिति मे आराजी नं. 4885/1182 से प्रतिवादी का कोई लेना देना नहीं है ओर न ही प्रतिवादी के द्वारा कोई नाजायज अतिक्रमण कर रखा है । ऐसी स्थिति मे दावा वादी खारिज फरमाया जावें ।

13.जवाव यह समे उपस्थित वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी के द्वारा वादी की 05 विस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है । जिसकी नपती करवा ली जावें । यदि कब्जा प्रतिवादी का पाया जावें तो उसे वेदखल कर कब्जा वादी को दिलयाया जावें । इस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी ने भी कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करने से न्यायालय लोक अदालत की भावना से दाया वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश सुनाया जाना न्यायालय उचित समझता है कि

—:निर्णय:—

दावा वादी डिकी किया जाकर गिरदावर व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों की उपस्थिति मे मौजा गुलाबपुरा ।। तहसील हुरड़ा की आराजी नम्बर 4885/1182 रकबा 12 विस्वा भूमि को मौके पर जाकर नपती करें । यदि प्रतिवादी का उक्त आराजियात पर कब्जा पाया जावे तो उसे वेदखल किया जाकर वादी को कब्जा सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । तदनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हों। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 15.07.2017 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश–20 के नियम–6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट आगूंचा

बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या– 220/2008

1. सुमेर चन्द पिता पेमर चन्द छाजेड निवासी गुलाबपुरा तहसील हुरड़ा

–वादी

बनाम

1. शिव प्रसाद पिता रामस्वरूप अरोड़ा निवासी बिजयनगर मालिक मैसर्स शांति स्वरूप एण्ड ब्रदर्स गुलाबपुरा

प्रेषिति:–

–प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से श्री रतन लाल जैन प्रतिवादी की ओर से श्री गोपाल लाल वैष्णव की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 15/07/2017 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है । दावा वादी डिक्री किया जाकर गिरदावर व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों की उपस्थिति मे मौजा गुलाबपुरा ।। तहसील हुरड़ा की आराजी नम्बर 4885/1182 रकबा 12 बिस्वा भूमि को मौके पर जाकर नपती करें । यदि प्रतिवादी का उक्त आराजियात पर कब्जा पाया जावे तो उसे बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है ।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रू. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।

यह आज तारीख 15/07/2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वादे के खर्चे

सहायक कलेक्टर
न्यायाधीश
(S. D. O.) गुलाबपुरा।
जिला-भीलवाड़ा

वादी	रुपये	पैसे	वादी	रुपये	पैसे
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	01	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस–तलवाना	01		6. कमिश्नर की फीस		00
7. आदेशिका की तामील					
8. स्टाम्प					
योग:–	05	00		02	00

Scanned by CamScanner